Allocation of Founds Under NREP

4864. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there have been shortfalls in the allocations made for National Rural Employment Programme during 1981-82 and 1982-83 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to make up those shortfalls in allocation for NREP ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन धन का उपयोग

4865. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के शैल्बस के अधीन कार्यों पर डी.आर.डी.ए. की स्वीकृति का बिना खर्च किये जा रहे धन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं के शैल्बस का पता लगाने के लिए विकास खंडों से भी परामर्श किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में लोगों के प्रतिनिधियों का भी सक्रिया सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह देगा; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जिला स्तर पर गठित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों जिनमें सांसदों एवं विधायकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजना तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन का कार्य सौंपा जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की गयी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें "शेल्फ ऑफ प्रोजेक्टस" तैयार करनी होती है तथा उस आधार पर वार्षिक कार्रवाई योजना बनानी होती है। निर्माण कार्यों के चयन तथा शेल्फ ऑफ परियोजना तैयार करने के कार्य में खंडों को भी शामिल किया जाता है।

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को मुआवजा

4866. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को आबंटित भूमि से "शापिंग सेन्टर्स" के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली प्रशासन द्वारा नीलाम की जाने वाली भूमि के लिये इन सोसाइटीज के कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शापिंग सेन्टर्स के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि का ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को मुआवजे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि